भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4184

29 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी

4184. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

श्री टी.आर.वी.एस. रमेश:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और निर्माण (फेम) योजना के आरंभ होने के बाद से चरण-।। के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) फेम-।। योजना के तहत किन लोगों को उक्त सब्सिडी प्रदान की गई है और इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस योजना के तहत उक्त सब्सिडी को और बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): महोदय, फेम-इंडिया स्कीम के चरण-।। को लागू करने के लिए बजट आबंटन और उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	बजट आबंटन	28.02.2022 की स्थिति के अनुसार निधि का उपयोग
1	2019-2020	500.00 करोड़ रुपये	500.00 करोड़ रुपये
2	2020-2021	318.36 करोड़ रुपये	318.36 करोड़ रुपये
3	2021-2022	800.00 करोड़ रुपये	28.02.2022 की स्थिति के अनुसार 729.30 करोड़ रुपये

(ख): महोदय, फेम-इंडिया योजना के अंतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में तत्काल रियायत के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। प्रोत्साहन बैटरी क्षमता से संबद्ध है, अर्थात् ई-तिपहिया और ई-चौपहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये/किलोवाट घंटा जो वाहन लागत का अधिकतम 20% होगा। साथ ही, 11 जून,2021 से प्रोत्साहन/सब्सिडी को वाहन लागत के 20% से बढ़ाकर 40% कर ई-दुपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये/किलोवाट घंटा से बढ़ाकर 15,000 रुपये/किलोवाट घंटा कर दी गई है। फेम-इंडिया स्कीम के चरण-II के तहत, मांग प्रोत्साहन के रूप में 25.03.2022 तक लगभग 2.96 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लगभग 1100.00 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है।

(ग) और (घ): महोदय, फेम-इंडिया स्कीम के चरण-II को शुरू में 1 अप्रैल, 2019 से 03 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था जिसे 02 अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाकर 31.03.2024 तक के लिए कर दिया गया है।

संप्रति, स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी में और अधिक वृद्धि का कोई प्रस्ताव भारी उद्योग मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

******